न्यायमूर्ति एस. एस. सोढ़ी के समक्ष

राज कुमार, - याचिकाकर्ता

बनाम

श्रीमती बिमला कुमारी और एक अन्य उत्तरदाता

सिविल पुनरीक्षण सं. 2316/1990

12 नवंबर, 1990

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का V)- आदेश 1 नियम 10- न्यायालय का क्षेत्राधिकार - किसी पक्षकार को वाद में शामिल करना - पारिवारिक समझौते पर आधारित वादी का दावा - वसीयत स्थापित करने की मांग करने वाला आवेदक - कार्रवाई के नए कारण का परिचय - आवेदक को दोषी ठहराना, अन्यायपूर्ण।

अभिनिर्धारित किया कि, कि वादी डोमिनस लिटस है और इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है जिसका वह विरोध करता है। यह केवल असाधारण मामलों में है जहां अदालत पाती है कि पार्टियों के बीच के मामले में प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए एक पार्टी को जोड़ना बिल्कुल आवश्यक है कि वादी के विरोध के बावजूद एक व्यक्ति को एक पार्टी के रूप में जोड़ने की अनुमति है। जहां वादी का दावा एक पारिवारिक समझौते पर आधारित है। जबकि, प्रतिवादी एक वसीयत स्थापित करना चाहता है, प्रतिवादी को एक पक्ष के रूप में पेश करके, अदालत के लिए कार्रवाई का एक नया कारण पेश किया जाता है, अर्थात्, प्रतिवादी द्वारा स्थापित वसीयत की वैधता। ऐसे प्रतिवादी को पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है।

(अनुच्छेद 5 और 8)

श्री दीपक गुप्ता, एचसीएस, सब जज तृतीय वर्ग, फरीदाबाद की अदालत के दिनांक 30 जुलाई, 1990 के आदेश में संशोधन के लिए सी.पी.सी. की धारा 115 के तहत याचिका। आवेदक को प्रतिवादी नंबर 2 के रूप में शामिल किया जाए। वादी यदि चाहे तो नया वाद दायर कर सकता है, आवेदक को प्रतिवादी संख्या 2 पर आरोपित कर सकता है।

दावा:- घोषणा के लिए मुकदमा।

पुनरीक्षण में दावा:- निचली अदालत के आदेश को पलटने के लिए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एससी कपूर।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता ए. पी. भंडारी ने कहा।

<u>आदेश</u>

1. यहां मामला सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के तहत मुकदमे में एक पक्ष की पक्षकार से संबंधित है।

2. वादी राज कुमार ने अपनी मां बिमला कुमारी के खिलाफ मुकदमा दायर कर यह घोषणा करने की मांग की कि वह मकान के एक हिस्से के मालिक हैं। यह घर उनके पिता रेमल दास के स्वामित्व में था, जिनकी मृत्यु 9 फरवरी, 1989 को हुई थी। वादी ने 1 अक्टूबर, 1988 के पारिवारिक समझौते के तहत स्वामित्व का दावा किया।

3. मुकदमा लंबित रहने के दौरान तारा चंद के पुत्र राज कुमार ने इस दलील के आधार पर मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल होने की मांग की कि रेमल दास ने छह जनवरी, 1989 को उसके पक्ष में वसीयत की थी। यह भी कहा गया कि वादी और उसकी मां बिमला कुमारी रेमल दास के कानूनी उत्तराधिकारी नहीं थे क्योंकि रेमल दास ने बिमला कुमारी को तलाक दे दिया था और उसके बाद उन्होंने अमृतसर के बचन सिंह से शादी की थी और उसके बाद उनके तीन बच्चे पैदा हुए थे। यह आरोप लगाया गया था कि वादी वास्तव में इस बचन सिंह का बेटा था, न कि रेमल दास।

4. वादी राज कुमार ने राज कुमार पुत्र तारा चंद को पक्षकार बनाए जाने के आवेदन का विरोध किया और आवेदन में लगाए गए अन्य आरोपों को भी खारिज कर दिया। हालांकि, निचली अदालत ने तारा चंद के बेटे राज कुमार के आवेदन को एक पक्ष के रूप में शामिल करने की अनुमति देते हुए कहा कि वादी और उसकी मां की कानूनी स्थिति के बारे में अदालत के मन में गंभीर संदेह पैदा किया गया था और आगे कहा गया था कि तारा चंद के बेटे राज कुमार

द्वारा स्थापित वसीयत वादी द्वारा भरोसा किए गए पारिवारिक समझौते की तुलना में बाद में थी।

5. किसी मुकदमे में पक्षकारों को शामिल करने से संबंधित कानून अच्छी तरह से तय है। वादी डोमिनस लिटस है और इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है जिसका वह विरोध करता है। यह केवल असाधारण मामलों में है जहां अदालत पाती है कि पार्टियों के बीच के मामले में प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए एक पार्टी को जोड़ना बिल्कुल आवश्यक है कि वादी के विरोध के बावजूद एक व्यक्ति को एक पार्टी के रूप में जोड़ने की अनुमति है।

6. हालांकि, प्रतिवादी के वकील राज कुमार ने श्रीमती राम काली बनाम उजाला और एक अन्य[1] मामले में इस अदालत के फैसले का हवाला देकर तारा चंद के बेटे राज कुमार को मुकदमे में एक पक्ष के रूप में पेश करने को सही ठहराने की मांग की। मूल रूप से उजाला राम नाम के एक व्यक्ति के पास निहित भूमि के स्वामित्व के संबंध में घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था। यह मुकदमा उजाला राम की पोती ने दायर किया था, जिसमें पारिवारिक समझौते के तहत मालिकाना हक का दावा किया गया था। इस दावे को उक्त उजाला राम ने अदालत में दिए अपने बयान में स्वीकार किया था। मुकदमा लंबित रहने के दौरान उजाला राम के पोते की विधवा ने इस दलील के आधार पर मुकदमे में पक्षकार के रूप में शामिल किए जाने की मांग की कि पहले के पारिवारिक समझौते के तहत यह जमीन पहले ही उनके दिवंगत पति को हस्तांतरित की जा चुकी है। यह माना गया कि वास्तविक विवाद यह है कि उजाला राम द्वारा भूमि अपने पोते को हस्तांतरित की गई थी या उनकी पोती को, पोते की विधवा को पक्षकार किए बिना यह प्रभावी रूप से या पूरी तरह से तय नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उसे इस तरह से शामिल करने की अनुमति दी गई थी।

7. इस मामले से निपटने में, न्यायमूर्ति जे. एस. सेखों ने कहा: -

[1] 1989 पी.एल.जे. 361.

"नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के उप-पैरा (2) के प्रावधानों के तहत, किसी व्यक्ति को दो आकस्मिकताओं में मुकदमे में एक पक्ष के रूप में जोड़ा जा सकता है, पहला यह कि उसे शामिल किया जाना चाहिए था और इस तरह से शामिल नहीं होना चाहिए, यानी जब वह आवश्यक पक्ष है, या, जब उसकी उपस्थिति के बिना मुकदमे में प्रश्नों को प्रभावी और पूरी तरह से निर्णय नहीं दिया जा सकता है, लेकिन किसी पक्ष को केवल इसलिए जोड़ने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि इससे किसी तीसरे व्यक्ति को संपार्श्विक मामले के निर्णय की मांग के लिए एक अलग मुकदमे के खर्च और परेशानी से बचाया जा सकेगा, जो सीधे और काफी हद तक उस मुकदमे के तहत मुद्दा नहीं था जिसमें वह घुसपैठ चाहता है। यह तथ्य कि मुकदमे के निष्कर्ष संयोग से हस्तक्षेपकर्ता को प्रभावित करेंगे, ऐसे व्यक्ति को एक पक्ष के रूप में शामिल करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं है।

8. दूसरी ओर, वर्तमान मामले में, यह देखा जाएगा कि पार्टियों के बीच उठाया गया मुद्दा प्रतिवादी द्वारा उठाए गए मुद्दे से काफी अलग और अलग है - राज कुमार, पुत्र तारा चंद भले ही यह उसी भूमि से संबंधित है, जहां तक वादी का दावा पारिवारिक समझौते पर आधारित है, जबकि, प्रतिवादी- राज कुमार एक वसीयत स्थापित करना चाहता है। प्रतिवादी को एक पक्ष के रूप में पक्षकार बनाकर, अदालत के लिए कार्रवाई का एक नया कारण पेश किया जाता है, अर्थात् प्रतिवादी राज कुमार द्वारा स्थापित वसीयत की वैधता। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 में ऐसा नहीं है। मुद्दे का मुद्दा वास्तव में कवर किया गया है; बोही राम और अन्य बनाम मुख्तियार कौर और अन्य, [2]जहां वादी ने वसीयत के आधार पर स्वामित्व की घोषणा की मांग की, जबकि नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के तहत एक पक्ष के रूप में आरोपित व्यक्ति ने उत्तराधिकार के आधार पर संपत्ति का मालिक होने का दावा किया, यह माना गया कि ट्रायल कोर्ट ने बाद में एक पक्ष के रूप में उसे पक्षकार बनाना उचित नहीं था। क्योंकि यह अदालत के लिए निर्णय लेने के लिए कार्रवाई का एक नया कारण लाएगा।

[2] 1986 (1) पीएलआर 303.

9. इस तरह इस निष्कर्ष से नहीं बचा जा सकता कि अदालत ने प्रतिवादी तारा चंद के बेटे राज कुमार को मुकदमे में पक्षकार बनाने में स्पष्ट रूप से गलती की। निचली अदालत के आदेश को निरस्त किया जाता है और इस पुनरीक्षण याचिका को जुर्माने के साथ स्वीकार किया जाता है। वकील शुल्क 500 रुपये।

एस.सी.के.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियांक गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

यमुनानगर, हरियाणा